न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 179/2021 **दायर दिनांकः 12.10.2021**

उनवान

1. शान्ती उर्फ कान्तीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री रतना जाति मेहर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट. व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

निर्णय **दिनांक 14/05/2022**

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीया ने यह दावा अन्र्तगत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां खाता संख्या 81 के ख0नं0 572 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 573 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 574 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 275/717 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 रकबा 1.51 है0 आराजी वादिया के 1/16 हिस्सा शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिया का नाम शान्ती पुत्र रतना दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद

नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया के पिता का फोती इन्तकाल खुलवाते समय बोलता नाम शान्ती दर्ज करवा दिया था। जबकि वादिया का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेजों में कान्तीबाई दर्ज है जो वादिया का सही नाम है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का गलत नाम शान्ती दर्ज होने के कारण वादिया अपनी आराजी का कृषि विकास नहीं करवा पा रही है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम शान्ती के स्थान पर सही नाम कान्तीबाई करवाया जाना संभव नहीं है। यदि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का वास्तविक नाम कान्तीबाई दर्ज नहीं किया गया तो वादिया का वास्तविक नाम कान्तीबाई दर्ज नहीं किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पावेगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं हैं अस्तु वादिया प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में शान्ती के स्थान पर सही नाम कान्तीबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.09.2021 को नकल लेकर प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के लिए आवेदन करने पर व अन्तिम बार दिनांक 25.09.2021 को जमाबन्दी में गलत नाम शान्ती दर्ज होने के कारण आवेदन निरस्त हो जाने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी भूमि धारक होने व वाद नाम दुरूस्ती होने के कारण राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकार तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम शान्ती के स्थान पर सही नाम कान्तीबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी का प्रदान कि जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये । pw 1 प्रभुलाल पुत्र रतनलाल जाति मेहर निवासी छेलाबेल के सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी प्रभूलाल ने बताया कि शान्ति उर्फ कान्ति मेरी बहिन है। बचपन में हम मेरी बहिन को शान्ति पुत्री रतनलाल के नाम से पुकारते थे। मेरी बहिन की शादी गुलखेडी परमानन्द के साथ की थी। मेरे जीजाजी ने मेरी बहिन का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में कान्ति पत्नी परमानन्द जाति मेहर नि0 गुलखेडी तहसील छीपाबडौद दर्ज करवा रखा है। शांति व कान्ति एक ही नाम है। प्रदर्श पी.1 जमाबन्दी में मेरे सहखातेदार में मेरी बहिन का नाम शांति पूत्री रतना हिस्सा 1/16 दर्ज है। इसलिए उसको ऋण आदि लेने में और जमीन की व्यवस्था करने, सरकारी कानूनों में अडचने पैदा होती है। इसलिए मेरी बहिन का नाम शान्ति उर्फ कान्ति पुत्री रतनलाल नि0 छैलाबेल दर्ज करने के आदेश फरमावे।

pw 2 कान्ती बाई पुत्री रतनलाल जाति मेहर के सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। मेरे ग्राम माल छैलाबेल तहसील अटरू की खाता संख्या 81 ख0नं0 572 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 573 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 574 रकबा 0.35 है0 ख0नं0 575/717 रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 है0 आराजी में मेरा हिस्सा 1/16 शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें मेरा शांति पूत्री रतना दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी मैने प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। लेकिन मेरी शादी होने के बाद मेरे

ससुराल वालों ने मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में कान्ति पत्नी परमानन्द निवासी गुलखेडी दर्ज है। मैरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे भाइयों ने ग्राम छैलाबेल मे मेरे पिताजी की आराजी में इन्तकाल खुलवाते समय मेरा नाम शांति पुत्री रतना दर्ज करवा दिया है। मेरे कान्ति के नाम से दस्तावेज बने हुए है। इसलिए मेरा नाम शान्ति उर्फ कान्ति पुत्री रतना दर्ज कराने के आदेश प्रदान करें।

3. अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम शान्ती के स्थान पर सही नाम कान्तीबाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी का प्रदान किा जावे।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम छैलाबेल की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 81 (प्रदर्श 1) कुल किता 4 रकबा 1.51 है0 आराजी में शान्ती पुत्री रतना शामलाती खाते में हिस्सा 1/16 दर्ज खाता स्थित है। अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम आधार कार्ड (प्रदर्श 2ए) में कान्ति बाई पत्नि परमानन्द दर्ज है, राशन कार्ड में कान्ति बाई दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में कान्तिबाई पत्नि परमानन्द दर्ज है। ग्राम पंचायत पछाड पंचायत समिती छीपाबडौद के प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2022 अनुसार शान्ती बाई पुत्री रतनलाल व कान्ति बाई पत्नि परमानन्द दोनों नाम एक ही महिला के है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादिया का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां खाता संख्या 81 के ख0नं0

572 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 573 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 574 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 275/717 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 रकबा 1.51 है0 आराजी में सहखातेदार शान्तीबाई पुत्री रतना के स्थान पर कान्ति बाई उर्फ शान्ती बाई पुत्री रतना दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 179/2021

उनवान

1. शान्ती उर्फ कान्तीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री रतना जाति मेहर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट.</u>
<u>व धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

बहाजिर :—
वादीया :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां खाता संख्या 81 के ख0नं0 572 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 573 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 574 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 275/717 का रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 रकबा 1.51 है0 आराजी में सहखातेदार शान्तीबाई पुत्री रतना के स्थान पर कान्ति बाई उर्फ शान्ती बाई पुत्री रतना दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)